भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1009

उत्तर देने की तारीखः 09.03.201**7**

शिक्षण कौशल की जांच करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा सर्वेक्षण

1009. श्री टी॰ रतिनावेलः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या एनसीईआरटी बच्चों के शिक्षण कौशल की जांच करने के लिए सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है**;

**(ख) यदि हां**, **तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;

**(ग) क्या शिक्षा का परिणाम शिक्षा का अधिकार का भाग बन जाएगा**;

**(घ) क्या कई राज्य शामिल की जाने वाली पद्धतियों तथा विचार-विमर्श को लेकर सकारात्मक**

**थे क्योंकि सरकार इसे अगले अकादमिक सत्र में लागू करने पर विचार कर रही है**; **और**

**(ङ) यदि हां**, **तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेंद्र कुशवाहा)

**(क) और (ख): सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत कक्षा** III, V **और** VIII **तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत कक्षा** X **में विद्यार्थियों के अधिगम स्तरों के आवधिक अध्ययन के उद्देश्य से विभिन्न कक्षाओं में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित कराने के लिए वर्ष 2000 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) को नियुक्त किया गया है। एनएएस के चार दौर और आरएमएसए के अंतर्गत एक दौर को पहले से ही पूरा कर लिया गया है।**

**चालू वर्ष से सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में कक्षा** I **से** VIII **के सभी विद्यार्थियों को शामिल करते हुए वार्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है।**

**विद्यार्थी अधिगम का आकलन एनसीईआरटी द्वारा प्रारंभिक स्तर पर सभी कक्षाओं को शामिल करते हुए सभी विषयों के लिए तैयार किए गए अधिगम परिणामों के अनुसार होगा।**

**(ग) से (ड.)**: **मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2016 को हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में 21 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें यह सहमति जताई गई थी कि अधिगम परिणामों को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए तथा इन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के नियमों का एक भाग बनाया जाना चाहिए। तद्नुसार, दिनांक 20 फरवरी, 2017 की अधिसूचना जी.एस.आर (155 (ई) के जरिए आरटीई नियम, 2010 को संशोधित किया गया है। इन नियमों द्वारा परिभाषित अधिगम परिणाम प्राप्त करने, सतत् और व्यापक मूल्यांकन को कार्य रूप में परिणत करने हेतु दिशा-निर्देश बनाने और सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणाम तैयार करने के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 29 (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकरण को अनिवार्य बनाया गया है।**